संख्या-3369 /15-7-16(111)/1994

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार नई दिल्ली ।

ा 17: अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 4 सितम्बर, 1995

विषय:- के0वे0 पब्लिक स्कूल खतौली मुजफ्फरनगर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0वे0 पब्लिक स्कूल खतौली मुजफ्फरनगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

...2

Scanned with OKEN Scanner

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये
जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेग

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिव
संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जा
कि -

1- विद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए ई०पी०एफ०
योजना लागू है ।

2- शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन मानक के अनुरूप बैंक
के माध्यम से दिया जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा औ
यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पा
नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिल
बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस
ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

पृ०सं० 111/15-7-1995 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, के०के० पब्लिक स्कूल खतौली मुजफ्फरनगर

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।